छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर,

नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 09/09/2020

क्रमांक एफ 3-42/2018/38-1

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर , अटल नगर,
रायपुर, छ0ग0।

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम संकाय प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 12/07/आउशि/योजना /2020-21, दि. 15/06/2020

राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के 07 शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत निम्नानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम संकाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता है :-

क्र	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यकम	वांछित सीट संख्या
1	2	3	4
1	शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महा. बिलासपुर	वाणिज्य B.B.A. 3 year	30
		गृहविज्ञान B.sc Home sc. Fasion Designning 3 year\	50
		समाजशास्त्र MSW 2 Year	20
		कीडा विभाग P.G. Diploma in Yoga Science 1 Year	30
		कीड़ा विभाग Basic & Advacne Sports Fitness programme 3 Month (Cert. Prog.)	40
		संस्कृत M.A. Sanskrit 2 Year	20
2	शास. पातालेश्वर महा. मस्तुरी, जिला - बिलासपुर	एम.एस.सी. (गणित)	20
		एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र)	20
3.	शास. मिनीमाता कन्या महा., कोरबा	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस)	30
		एम.ए. (भूगोल)	20
		एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र)	20
		एम.एस.सी. (गणित)	25
		पी.जी.डी.सी.ए.	30

C1(L670)a

Scanned with CamScanner

			40
4.	शास. पं. श्यामचरण शुक्ल महा. धरसींवा, रायपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	40
5	बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शास. महा. आरंग	पी.जी.डी.सी.ए.	40
		डी.सी.ए.	40
6	शास. कंगला मांझी महा. डौण्डी	पी.जी.डी.सी.ए.	40
7	शास. महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	40
		डी.सी.ए.	20
		एम.कॉम.	

उक्त शासकीय महाविद्यालयों द्वारा स्ववित्तीय योजनांर्गत प्रस्तावित पाठ्कम को प्रांरभ करने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती है :-

1. स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत उक्त पाठ्कमों का संचालन किया जावेगा।
2. शैक्षणिक कर्मचारियों की एवं लाईब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु कोई भी अनुदान नही दिया जायेगा।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जावेगी।
4. उक्त पाठ्यकम प्रारंभ करने पर आय-व्यय के लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल/सी.ए.द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

(रवीन्द्र कुमार मेढ़ेकर)
अवर सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2020

कमांक एफ 3-42/2020/38-1
प्रतिलिपि :-
1.विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, नवा रायपुर।
2.सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
3.संबंधित कलेक्टर जिला...।
4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
5.संबंधित जिला कोषालय ....।
6.संबंधित प्राचार्य...
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7.आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

CI(L671)

Scanned with CamScanner